

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नजी क्क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण से संबंधित कानून पर रोक

प्रलिस के ललल:

[अनुच्छेद 14](#), [अनुच्छेद 19](#), [अनुच्छेद 16](#), [अनुच्छेद 371\(d\)](#), [अनुच्छेद 15](#), [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#)

मेन्स के ललल:

भारत में नवास पर आधारल आरक्षण, आरक्षण नीतलल के सामाजकल-आर्थकल और कानूनी नहलतार्थ, बेरोज़गारी

[स्रोत: द हदु](#)

चर्चा में क्यल?

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य नजी क्क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारल का नयोजन अधनललम, 2021 में स्थानीय उम्मीदवारल के रोज़गार के कार्यानवयन पर रोक लगा दी है, जसमें 40,000 रुपए तक के वेतन वाले नजी क्क्षेत्र की नौकरलल में स्थानीय उम्मीदवारल के ललल 75% आरक्षण अनवलर्य था ।

- यह कानून स्थानीय ललगल के ललल रोज़गार को बढ़ावा देने के ललल लाया गया था, लेकनल संवैधानकल सदलधलतल का उल्लंघन करने के कारण इसकी आलोजना की गई ।

नजी क्क्षेत्र में नयोजन अधनललम पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्यल है?

- लघु उदयगल द्वावा याचकल: झारखंड लघु उदयग संघ (JSSIA) ने स्थानीय ललगल को 75 परतशलत आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को चुनौती देते हुए एक याचकल दायर की, जसमें तर्क दलल गया कललह समानता के सदलधलत और वयवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है ।
- JSSIA का परतनलधलतल करने वाले अधवलकताल ने तर्क दलल कललह अधनललम स्थानीय और गैर-स्थानीय उम्मीदवारल के बीच अनुचतल रूप से वभलजन उत्पन्न करता है, तथा नयलकताल की स्वतंत्र रूप से नयुलकत करने की कषमता को सीमतल करता है ।
- याचकल में पंजाब एवं हरयलणा उच्च न्यायालय द्वावा हरयलणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोज़गार अधनललम, 2020 को रद्द करने का हवाला दलल गया, जसल पंजाब एवं हरयलणा उच्च न्यायालय ने संवैधानकल अधकलरल का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दलल था ।
- झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: झारखंड हाईकोर्ट ने नजी क्क्षेत्र की कंपनी में स्थानीय उम्मीदवारल के झारखंड राज्य नयोजन अधनललम, 2021 के कार्यानवयन पर रोक लगा दी ।
- न्यायालय ने JSSIA की इस दललल को सही पाया कललह कानून गैर-स्थानीय उम्मीदवारल के साथ भेदभाव करके [अनुच्छेद 14](#) के समानता के अधकलर का उल्लंघन करता है । साथ ही नजी कंपनलल के नयुलकत वकलल्लल को परतबलधतल करके [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#) के तहत वयवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है ।

अन्य राज्यल में भी इसी प्रकार के अधवास आधारल आरक्षण कानून:

- आंध्र प्रदेश: उदयगल/कारखानल में स्थानीय उम्मीदवारल के ललल आंध्र प्रदेश रोजगार अधनललम, 2019 पारतल कलल गया (स्थानीय नवासललल के ललल नजी उदयगल में 75% नौकरलल आरक्षणल है) ।
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कललह कानून “असंवैधानकल हो सकता है” लेकनल अभी तक इस पर अंतमल नरलणय नहीं दलल गया है ।
- कर्नाटक: उदयगल, कारखानल और अन्य परतषलठानल में स्थानीय उम्मीदवारल के ललल कर्नाटक राज्य रोज़गार वधलक, 2024 को मंजूरी दी गई, जसमें वभलनलन क्क्षेत्रल में परबंधन भूमकलल में स्थानीय ललगल के ललल 50% और गैर-परबंधन पदल पर 75% आरक्षण का प्रावधान है ।
- इस वधलक पर काफी ववलद बना हुआ है तथा शर्मकलल की गतशीलता और वयवसाय संचालन पर इसके परभाव को लेकर चतलएँ वयकत की गई हैं ।

राज्य नजी क्क्षेत्र के रोजगार में नविस पर आधारित आरक्षण क्यों लागू करते हैं?

- **स्थानीय लोगों में उच्च बेरोजगारी:** कई राज्यों में स्थानीय लोगों, को विशेष रूप से नमिन और अर्द्ध-कुशल पदों पर, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
- **स्थानीय नयोजन कानूनों को नविसयों को रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है।**
- **प्रवासी श्रमिक के कारण रोजगार में कमी:** यह धारणा बढ़ती जा रही है कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक स्थानीय लोगों के लिये निर्धारित रोजगार छीन रहे हैं।
- इससे विशेष रूप से अधिक औद्योगिक और आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता है।
- **राज्य रोजगार प्राथमिकता:** नजी क्षेत्र, एक **प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता के रूप में, स्थानीय लोगों को रोजगार के लिये प्राथमिकता देकर सामाजिक न्याय** का समर्थन कर सकता है, खासकर तब जब इसे कर **रियायतों और सस्ते ऋणों** जैसे सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ मिलता है, जो सकारात्मक नीतियों को उचित ठहराता है।
- **राजनीतिक दबाव और वोट बैंक:** राज्य सरकारों को स्थानीय आबादी से अपने हितों को प्राथमिकता देने के लिये दबाव का सामना करना पड़ता है। आरक्षण कानून लागू करना **मतदाताओं की भावनाओं को खुश करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने का एक तरीका** हो सकता है।
- **कौशल बेमेल और शिक्षा स्तर:** स्थानीय लोगों में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिये कौशल की कमी हो सकती है, जिससे उनके अवसर सीमित हो सकते हैं।
- इस कौशल असंतुलन को दूर करने तथा कम शक्ति आबादी को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कम वेतन वाली नौकरियों के लिये कोटा शुरू किया गया है।
- **प्रतिभा को बनाए रखना:** यह सुनिश्चित करके कि स्थानीय नविसयों को नौकरियों तक पहुँच प्राप्त हो, राज्य क्षेत्र के भीतर प्रतिभा को बनाए रख सकते हैं। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ प्रतिभा **पलायन** हो रहा है, जहाँ कुशल कर्मचारी बेहतर अवसरों के लिये कहीं और चले जाते हैं।

नविस पर आधारित आरक्षण क्या है?

- **नविस पर आधारित आरक्षण:** यह प्रणाली व्यक्तियों के नविस स्थान के आधार पर लाभ आरक्षण करती है। राज्य शिक्षा और सार्वजनिक नौकरियों जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए नविसयों के लिये कुछ सीटें आवंटित कर सकता है।
 - **"जन्म स्थान" और "नविस" अलग-अलग अवधारणाएँ हैं,** जसमें नविस का तात्पर्य किसी व्यक्तिके जन्मस्थान के बजाय उसके नविस स्थान से है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 16(3), संसद द्वारा निर्धारित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भीतर सरकारी नयुक्तियों के लिये नविस-आधारित मानदंड की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 371(d) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थानीय कैडर** की स्थापना करता है, जससे सरकारी नौकरियों में स्थानीय प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित होते हैं।
- **अनुच्छेद 15** केवल जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, नविस के आधार पर नहीं।
- **ऐतिहासिक निरणय:**
 - 1955: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अधिविस-आधारित आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा, जसमें कहा गया कि अपने नविसयों को लाभ पहुँचाना राज्य का वैध हित है।
 - 1984: सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः अधिविस-आधारित आरक्षण को बरकरार रखा तथा इस बात पर बल दिया कि यह अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के दायरे में आता है, जब तक कि **असमानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है** या दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।
- **नविस पर आधारित आरक्षण से जुड़ी समस्याएँ:** अधिविस-आधारित आरक्षण से योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य प्रदर्शन में कमी आ सकती है।
 - क्षेत्रीय पहचान पर जोर देने से **वर्गीकरण को बढ़ावा मिल सकता है तथा स्थानीय स्तर पर तनाव** बढ़ सकता है, जससे राष्ट्रीय एकीकरण कमजोर हो सकता है।
 - जनि प्रवासियों ने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें **अनुचित रूप से अवसरों से वंचित** किया जा सकता है।
 - नविस के मानदंडों में हेरफेर किया जा सकता है, जससे आरक्षण सीटों या पदों के आवंटन में **शोषण और पक्षपात** को बढ़ावा मिल सकता है।
 - आरक्षण पर निरंतर निर्भरता **शिक्षा और कौशल विकास की गुणवत्ता** में सुधार के प्रयासों को कमजोर कर सकती है, जो सशक्तीकरण के लिये अधिक सतत् समाधान हैं।
 - नविस पर आधारित आरक्षण **अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में विफल** हो सकता है, जहाँ धनी या अधिक शक्ति स्थानीय नविसी उसी क्षेत्र के गरीब, हाशिये पर पड़े समूहों की तुलना में अधिक लाभान्वित होते हैं।

आगे की राह:

- **रोजगार संतुलन:** एक **नविस तंत्र स्थापित करना जहाँ स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों उम्मीदवार रोजगार के लिये प्रतिस्पर्द्धा** कर सकें, क्षेत्रीय बेरोजगारी के मुद्दों का समाधान करते हुए योग्यता आधारित नयुक्तियों को बढ़ावा देना।
 - नीतियों को कार्यबल एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, तथा राज्य की सीमाओं की परवाह किये बिना सभी नागरिकों के लिये आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** स्थानीय लोगों के लिये शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में नविस करना ताकि उन्हें **रोजगार के प्रति अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके** तथा प्रतिबिधात्मक आरक्षण की आवश्यकता कम हो।

